



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228142
CG-DL-E-06072021-228142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2500]
No. 2500]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2701(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट रा.रा.-709एडी से रा.रा.-58 तक के भूखण्ड के संबंध में रा.रा.-709एडी (वहलना चौक होते हुए रा.रा.-709एडी पिन्ना ग्राम से रा.रा.-58 को जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-रा.रा.-709एडी (वहलना चौक होते हुए रा.रा.-709एडी पिन्ना ग्राम से रा.रा.-58 को जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (फाइनेंस / रेवेनुए)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH709AD के कि.मी.	उत्तर प्रदेश	मुज़फ्फरनगर	मुज़फ्फरनगर	1रुकनपुर
						2खानजहांपुर
						3मन्धेडा

		53.63 से 111.65 तक				<table><tr><td>4</td><td>मीरापुर</td></tr><tr><td>5</td><td>सूजड़</td></tr><tr><td>6</td><td>संधावाली</td></tr><tr><td>7</td><td>वाहलना</td></tr><tr><td>8</td><td>किनौनी</td></tr></table>	4	मीरापुर	5	सूजड़	6	संधावाली	7	वाहलना	8	किनौनी
4	मीरापुर															
5	सूजड़															
6	संधावाली															
7	वाहलना															
8	किनौनी															

[फा. सं. NHAI/PIU-BPT/LA.NOTIF/1011/709AD(SPUR)/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2701(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from NH-709AD to NH-58 of the NH-709AD (Development of SPUR from Pinna village NH-709AD to NH-58 via Vahalana Chowk) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-709AD (Development of SPUR from Pinna village NH-709AD to NH-58 via Vahalana Chowk) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (Finance / Revenue)	53.63K M To 111.65 K.M.	UTTAR PRADESH	MUZAFFARNAGAR	Muzaffarnagar	1 Rukanpur
						2 Khanjahanpur
						3 Mandhera
						4 Mirapur
						5 Sujru
						6 Sandhawali
						7 Wahalna
						8 Kinauni

[F. No. NHAI/PIU-BPT/LA.NOTIF/1011/709AD(SPUR)/3a]

RAJESH GUPTA, Director